उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग–अनुभाग–2
संख्या–413/III(2)/17-05(बजट)/2009
देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल, 2017

:: कार्यालय ज्ञाप ::

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों में ठहरने वाले आगन्तुकों से किराया वसूल किये जाने विषयक शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या–4424/III(2)/11-05(बजट)/2009 दिनांक 10 अगस्त, 2011 को अवक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से विभागीय निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों में ठहरने वाले आगन्तुकों से निम्न तालिका के कॉलम – 6 एवं 7 में उल्लिखित किराया वसूल किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि ₹ में)

क्र. स.	आगन्तुक की श्रेणी	निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों का वर्तमान किराया			निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों का संशोधित किराया		
		किराया प्रतिदिन	बिजली शुल्क प्रतिदिन प्रतिकक्ष	योग	किराया प्रतिदिन	बिजली शुल्क प्रतिदिन प्रतिकक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से ड्यूटी पर 07 दिन तक	40.00	20.00	60.00	100.00	50.00	150.00
2	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से ड्यूटी पर 07 दिन से अधिक ठहरने पर	80.00	20.00	100.00	250.00	50.00	300.00
3	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों जो निजी कार्य से ठहरते है।	160.00 (07 दिनों तक)	20.00	180.00	250.00 (07 दिनों तक)	50.00	300.00
		185.00 (07 दिनों से अधिक पर)	20.00	205.00	320.00 (07 दिनों से अधिक पर)	50.00	370.00
4	पर्यटकों/प्राइवेट व्यक्तियों से	265.00	20.00	285.00	450.00	50.00	500.00
5	विदेशी पर्यटकों से	265.00	20.00	285.00	700.00	50.00	750.00
6	उत्तराखण्ड राज्य के मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण	शून्य	बिजली का व्यय शासन के सचिवालय प्रशा0 (लेखा) अनु0 द्वारा	—	शून्य	बिजली का व्यय शासन के सचिवालय प्रशा0 (लेखा) अनु0द्वारा	—

क्रमशः 2 पर

			भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी।			भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी	
7	उत्तराखण्ड राज्य के मा0 मंत्रीगण के संसदीय सचिव, विधान सभा के मा0 अध्यक्ष तथा मा0 उपाध्यक्ष, मा0 उपमंत्री।	शून्य	बिजली का व्यय शासन के सचिवालय प्रशा0 (लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी।	–	शून्य	बिजली का व्यय शासन के सचिवालय प्रशा0 (लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी	–
8	उत्तराखण्ड राज्य से निर्वाचित मा0 सांसद तथा मा0 विधायकगण।	शून्य	तदैव 2. यदि ड्यूटी पर जाते है तो केवल सेवा शुल्क	–	शून्य	तदैव 2. यदि ड्यूटी पर जाते है तो केवल सेवा शुल्क	–
9	उत्तराखण्ड राज्य निगमों/स्वा0 संस्थाओं के अधिकारियों से	160.00	20.00	180.00	250.00	50.00	300.00
10	भारत सरकार के अधिकारियों से	80.00 (07 दिनों तक) 105.00 (07दिनों से अधिक पर)	20.00 20.00	100.00 125.00	250.00 (07 दिनों तक) 450.00 (07 दिनों से अधिक पर)	50.00 50.00	300.00 500.00
11	अन्य राज्य के अधिकारियों से यदि इस सम्बन्ध में कोई पारस्परिक व्यवस्था हो तो एक ही वर्ग माना जाय अन्यथा सामने संशोधित दरें लागू होगी।	160.00	20.00	180.00	250.00	50.00	300.00
12	भारत गणराज्य तथा अन्य प्रदेशों के सरकारी निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी	160.00	20.00	180.00	250.00	50.00	300.00

2. उपर्युक्त संशोधित दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ लागू होगी :–

(i) प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को रियायती दर पर रूकने के लिए अर्ह व्यक्ति सात दिन पूरा करने के पश्चात् उसी निरीक्षण गृह में पुनः सात दिन के पश्चात् ही रह सकेंगे अन्यथा उनसे गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये निर्धारित किराया रू0 500.00 प्रतिदिन वसूल किया जायेगा।

क्रमशः.....3 पर

(ii) कक्षों में रूकने वाले महानुभावों से एक सप्ताह तक सामान्य किराया लिया जायेगा और एक सप्ताह से अधिक किसी भी आगन्तुकों को ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई आगन्तुक इस अवधि से अधिक ठहरता हो, तो उसे एक माह तक रू0 250.00 प्रतिदिन और उसके पश्चात रू0 350.00 प्रतिदिन प्रतिकर के रूप में भुगतान करना होगा।

(iii) यदि कोई आगन्तुक एक सप्ताह तक रूकने के बाद 10 दिन के अन्दर पुनः अधिकतम दो दिन तक दुबारा रूकता है, तो सामान्य किराया लिया जायेगा किन्तु यदि पुनः तीन दिन या उससे अधिक दिन तक रूकता है तो दोनों अवधियों में 10 दिन का अन्तर होना चाहिए और यदि यह अन्तर 10 दिन से कम है तो सामान्य किराया न लेकर पूरी अवधि को एक मानते हुए उपरोक्त प्रतिबन्ध–2(ii) के अनुसार प्रतिकर वसूल किया जायेगा।

(iv) उत्तराखण्ड राज्य के मा0 विधान सभा सदस्यों, विधान सभा के मा0 अध्यक्ष एवं मा0 उपाध्यक्ष तथा उत्तराखण्ड राज्य के मा0 संसद सदस्यों पर उपर्युक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगें।

3. **यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या–243/III (2)/17–05(बजट)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– आयुक्त, कुमायूॅ/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9– समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10–वित्त अनुभाग–2/सचिवालय प्रशासन(लेखा)अनुभाग/सामान्य प्रशासन अनुभाग/गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12–लोक निर्माण अनुभाग–1/3, उत्तराखण्ड शासन।
13–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव